भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड

परियोजना प्रस्ताव आवेदन प्रपत्र

आईआरईएल-पीपीए

अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पाने के लिए 'आईआरईएल - पीपीए' का प्रपत्र तीन अनुभागों में विभाजित हैं। प्रपत्र को भरने के तरीके के बारे में जानकारी 'अनुदेश' के रूप में दी गई है। प्रपत्र भरने से पहले, कृपया प्रत्येक अनुभाग और अनुदेश पढ़ें।

अनुभाग-क: परियोजना विवरण

भाग I : परियोजना का अवलोकन
भाग II : परियोजना का उद्देश्य, अनुसंधान योजना और प्रदेय (डिलिवरेबल्स)
भाग III : बजट विवरण और औचित्य
भाग IV : अन्य चल रही और पिछली परियोजनाएं

अनुभाग-ख : अन्वेषकों एवं समन्वयकों के आत्मवृत्त

अनुभाग-ग : प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र

अनुदेश

1. आवेदक को प्रपत्र भरने से पहले दिए गए अनुदेशों को पढ़ना होगा। आवेदन प्रपत्र के प्रारूप को न बदलें और **केवल एमएस वर्ड प्रारूप** में प्रस्तुत करें।

2. पूरे वर्ष के दौरान आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। परियोजना के प्रसंस्करण और स्वीकृति के लिए आवश्यक समय आम तौर पर 4-6 महीने हैं, जो अनुदान की मांग के आधार पर निर्भर है।

3. आवेदन 3 अनुभागों क, ख एवं ग से बना है, जिसे टाइम्स न्यू रोमन प्रारूप, फॉन्ट आकार: 10 एवं रेखा अंतर: 1.5, का उपयोग करके निर्धारित प्रारूप **(आईआरईएल-पीपीए)** के अनुसार तैयार होना चाहिए। निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी संबंध में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र की **दो (2) हार्ड कापी** और शीर्ष बाएं कोने पर स्टेपल किए हुए : **प्रधान,** इंडियन रेअर अर्थ्स अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बाक्स नं.38, बीच रोड, कोल्लम - 691 001, केरल को प्रस्तुत करना चाहिए।

   आवेदक को (अनुभाग-ग को छोड़कर) **कागज के दोनों तरफ़ मुद्रण के लिए** उपयोग करने का आग्रह किया जाता है। हार्ड कॉपी के अतिरिक्त, **अनुभाग-क एवं अनुभाग-ख** की सॉफ्ट कॉपी head-irerc@irel.co.in (फाइल का आकार 1.5एमबी तक सीमित होना चाहिए) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। इस कार्यालय में आवेदन प्रपत्र के दोनों हार्ड एवं सॉफ्ट कापी प्राप्त होने के बाद ही, आवेदन पत्र की **प्राप्ति की सूचना** ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

4. स्वीकृत परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, आईआरईएल जोर दे रहा है कि एक परियोजना के प्रमुख अन्वेषक के अलावा, एक ही विभाग/संस्थान से सह-अन्वेषक होना चाहिए। सह-अन्वेषक से यह अपेक्षा की जाती है, कि वह सुनिश्चित करे कि परियोजना का काम तब भी चल रहा हो, जब प्रमुख अन्वेषक छुट्टी/प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रमुख अन्वेषक की लंबी छुट्टी/ प्रतिनियुक्ति की दशा में, यह अपेक्षा की जाती है कि वह आईआरईएल को पर्याप्त रूप से पहले सूचित करे ताकि पत्राचार सह-अन्वेषक को सीधे ही संबोधित किया जा सके।

5. आईआरईएल बहु-केंद्र अध्ययनों के आधार पर परियोजनाओं पर विचार कर सकता है। ऐसे परियोजना प्रस्तावों के लिए, सह-अन्वषक को प्रमुख अन्वेषक के अलावा, अन्य संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सह-अन्वेषक द्वारा आवश्यक धनराशि को समान प्रारूप का उपयोग करके, अलग से दर्शाया जा सकता है। यदि परियोजना अनुमोदित होती है, तो आईआरईएल प्रमुख अन्वेषक एवं सह-अन्वेषक को अलग से धन को स्वीकृत देगा और अनुदान उनके संबंधित संस्थानों को भेज देगा।

6. प्रमुख अन्वेषक (पीआई) के संस्थान के प्रधान से प्रमाण पत्र -I (अनुभाग-ग) होना चाहिए, जहाँ सह-अन्वेषक (सीआई) प्रयोज्य हो।

7. आईआरईएल उत्पादों/परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों में जो परियोजनाएं सीधी संबद्धता रखती है और परमाणु ऊर्जा विभाग इकाई के सहयोग से की जाती हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी परियोजनाओं में एक परमाणु ऊर्जा विभाग इकाई से एक प्रमुख सहयोगी (पीसी) होगा और यह अपेक्षा की जाती है कि परमाणु ऊर्जा विभाग इकाई (इकाइयों) एवं प्रमुख अन्वेषक (पीआई) के बीच चर्चा के बाद मिल कर विकास किया जाए। प्रमुख अन्वेषक और प्रमुख सहयोगी समस्या के मानार्थ पहलुओं पर काम करेंगे। ऐसी परियोजनाओं के लिए, परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व **यूनिट प्रमुख / प्रमुख सहयोगी के समूह निदेशक** से प्रमाण पत्र -2 (अनुभाग-ग) की दो प्रतियाँ प्राप्त की जानी चाहिए।

जबकि सहयोगी किस्म के तहत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, आईआरईएल 'उत्कृष्टता' को लक्षित करने के लिए स्वतंत्र परियोजनाओं का भी समर्थन करता है। एक अन्वेषक द्वारा प्रस्तुत एक ऐसी परियोजना के लिए, आईआरईएल एक वैज्ञानिक को एक समन्वयक (डीसी) के रूप में नामित करेगा।

8. **परियोजना अवलोकन** (अनुभाग-क, भाग I): इसमें परियोजना की संपूर्ण जानकारी को संक्षिप्त प्रारूप में दर्शाया जाना चाहिए, जिसे सामान्यतया प्रस्ताव के अवलोकन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। **यह सुझाव दिया जाता है कि प्रपत्र के अन्य सभी अनुभागों को पूरा करने के बाद, इसे भरना चाहिए।**

9. सलाहकार समितियां (अनुभाग-क, भाग I, क्रमांक 100): परियोजना के स्वरूप के आधार पर, प्रमुख अन्वेषक सलाहकार समिति का नाम इंगित कर सकता है जिसमें प्रस्ताव को संदर्भित किया जाना चाहिए। अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले विषय क्षेत्रों को नीचे दिया गया है:

I. उच्च तापमान प्लाज्मा भट्टियों में खनिजों का प्रसंस्करण करना।
II. विलायक निष्कर्षण के लिए नवीन अभिकर्मकों के संश्लेषण करना।
III. समुद्र तट रेत खनिज को मूल्य वर्धन के लिए पर्यावरण के रूप से सौम्य प्रक्रियाओं का विकास करना।
IV. उच्च शुद्धता रेअर अर्थ्स के उत्पादन के लिए प्रक्रिया का विकास करना।

V. खनिज संसाधन में ऊर्जा बचत के उपाय करना।

VI. भारतीय उद्योगों में थोरियम और हल्का रेअर अर्थ्स के लिए गैर-परमाणु अनुप्रयोगों का विकास करना।

VII. स्मार्ट सामग्री में रेअर अर्थ्स के उपयोग का विकास करना।

VIII. फास्फोरिक एसिड से भारी रेअर अर्थ्स की वसूली करना।

IX. सिलिमनाइट एवं गार्नेट का गैर-पारंपरिक मूल्य वर्धन करना।

X. विभिन्न माध्यमिक स्रोतों से परमाणु सामग्रियों की वसूली करना।

XI. प्रक्रिया उपकरणों एवं रसायनों के स्वदेशीकरण और आयात प्रतिस्थापन करना।

10. **कुंजी शब्द** (अनुभाग-क, भाग I, क्रमांक 102): परियोजना के अनुक्रमण के लिए अधिकतम 8 कुंजी शब्द सुझाए जा सकते हैं। पहले दो प्रमुख कुंजी शब्द अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र को संदर्भित करने चाहिए। आप आने प्रस्तावित परियोजना के लिए दो रेफरी के नाम एवं पते भी एक अलग पत्रक पर प्रदान कर सकते हैं, जोकि आपके अनुसंधान क्षेत्र के विशेषज्ञ हो।

11. **परियोजना सारांश** (अनुभाग-क, भाग I, क्रमांक 103):सारांश (लगभग 100 शब्द) देश एवं विदेशों के भीतर किए जा रहे संबंधित कार्य, परियोजना के निष्पादन की पद्धति, अपेक्षित प्रौद्योगिकी का विकास, सुधारित उत्पाद/ प्रक्रिया, डेटा बेस का प्रजनन आदि परियोजना के अपेक्षित परिणाम, जो आईआरईएल उत्पादों/ परमाणु ऊर्जा विभाग कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से परियोजना के महत्व को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए।

12. **विस्तृत तकनीकी जानकारी** (अनुभाग-क, क्रमांक 108): इस अनुभाग में उचित रूप से समझा जाने वाले पत्रकों की संख्या में "गहराई से" विवरण प्रदान करें। कागज़ के किसी भी तरफ़, पाठ एवं मुद्रण के लिए दो कॉलम लेआउट, सिंगल स्पेसिंग, फॉन्ट आकार 8 का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कृपया सॉफ्ट कॉपी के आकार को 1.5 एमबी तक सीमित करें। यह जानकारी हमें परियोजना प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा करने में सहायता प्रदान करेगी।

13. परियोजना के उद्देश्य (अनुभाग-क, भाग II, क्रमांक 200): प्रस्ताव के उद्देश्यों को बताएं।

अनुभाग-ख में गहराई से विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

14. **अनुसंधान योजना और प्रदेय (डिलिवरेबल्स)** (अनुभाग-क, भाग II, क्रमांक 210): परियोजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान नियोजित कार्य का वर्णन करें और प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रदेय (डिलिवरेबल्स) की पहचान भी करें। इससे परियोजना की निगरानी में सहायता मिलेगी और समय-समय पर आवश्यक, यदि कोई हो, तो सुधारात्मक कार्रवाई लेने के लिए भी सुविधा होगी। सामान्यत: परियोजनाओं को 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति दी जाती है। परियोजना की शुरूआत स्वीकृत कर्मचारियों के सम्मिलित होने की तिथि या स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि के 2 माह के बाद जो पहले हो, उसे जाएगा।

15. **बजट प्राक्कलन** (अनुभाग-क, भाग III, क्रमांक 300): यदि परियोजना को स्वीकृति दी गई है, तो आईआरईएल प्रमुख अन्वेषक के गैर-आईआरईएल संस्था को (जैसे विश्वविद्यालय/आई आई टी/आई आई एस सी/ अन्य परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयां आदि) केवल परियोजना कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान करेगा। आईआरईएल इकाइयों में काम करने के लिए आवश्यक निधि को संबंधित आईआरईएल इकाइयों द्वारा उठाया जाएगा और उसे संबंधित आईआरईएल इकाई के अनुसंधान एवं विकास खाते से ले लिया जाएगा। तथापि, प्रमुख अन्वेषक के संस्थान में पीसी/डीसी की यात्रा और ठहरने के लिए आवश्यक निधि को परियोजना बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिए और पीसी/डीसी की यात्रा के व्ययों को इस खाते में नामे डाला जाएगा। समेकित राशि बजट अनुमान के तहत प्रस्तुत की जानी चाहिए। बजट विवरण एवं बजट औचित्य के लिए प्रदान किए गए संबद्ध कालमों में अलग से प्रस्तुत किया जाना है। वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद, एक 'प्रधान खाता' से दूसरे एक निधि

अंतरण सामान्य रूप से अनुमति नहीं है। एक समय में एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए निधि जारी की जाती है।

16. **उपकरण** (अनुभाग-क, भाग III, क्रमांक 310): आकलित लागत, दर/ प्रोफार्मा-बीजक (एक महीने से अधिक पुरानी न हो) के समर्थन में आपूर्तिकर्ता एवं दस्तावेज़ों के नाम, प्राप्त किए जाने वाले उपकरण के लिए विनिर्देशन प्रमुख उपकरणों के संबंध में प्रदान किया जाना चाहिए। इससे हमारी ओर से निर्णय लेने में सुविधा होगी।

17. **कर्मचारी वेतन** (अनुभाग-क, भाग III, क्रमांक 320): **आईआरईएल की अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर कार्यरत कर्मचारी और उनसे संबंधित योग्यता/ अनुभव एवं वेतन के अनुसार कर्मचारियों के संवर्ग निम्नानुसार है:**

संवर्ग	**योग्यता/अनुभव**	**वेतन प्रति माह***
जे आर एफ	**एम.एससी/बीई/बी.टेक/ बी.वीएससी/बी.फार्म एवं एक समिति द्वारा एस आर एफ के रूप में पुन:पदनाम पर**	**प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु रु.16,000/- तृतीय वर्ष से .18,000/-**
एस आर एफ	**एम.टेक/एमई/एम.वीएससी/एम.फार्म/एमबीबीएस/बीडीएस या एम.एससी/बीई/बी.टेक/बी.वीएससी/बी.फार्म - दो वर्ष के अनुभव सहित**	**प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु रु.18,000/- तृतीय वर्ष से रु. 20,000/-**
आर ए - I**	**विज्ञान में पीएच.डी/ एमडी या एम टेक/एमई/ एम.वीएससी/एम.फार्म/एमबीबीएस/बीडीएस- दो वर्ष के अनुभव सहित**	**रु.22,000/-**
आर ए - II**	**विज्ञान में पीएच.डी/ एमडी या एम टेक/एमई/ एम.वीएससी/एम.फार्म/एमबीबीएस/बीडीएस- दो वर्ष के अनुभव सहित और असाधारण अकादमिक रिकॉर्ड रखने वाले**	**रु.23,000/-**
आर ए - III**	**इंजीनियरिंग में पीएच.डी/ या आर ए - II हेतु समान, किंतु विशिष्ट प.ऊ.वि. योजना के अंतर्गत चयनित**	**रु.24,000/-**

* वेतन के अतिरिक्त, नियुक्त कर्मचारी प्रमुख अन्वेषक संस्थान/ विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, गृह किराया भत्ता (एचआरए) एवं चिकित्सा भत्ता (एमए) के भी हकदार हैं। कर्मचारी की नियुक्ति के बाद ही एचआरए का दावा किया जा सकता है।

** जिस स्लैब पर (आर ए) के लिए वेतन निर्धारित किया जाता है उसी में उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार के योग्या एवं अनुभव को ध्यान में रखकर तय किया जा सकता है।

यदि परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तो संस्वीकृति पत्र के साथ कर्मचारी की भर्ती के लिए दिशानिर्देश/ नियम और शर्तें और भुगतान नियम भी जारी किये जाते हैं। जहां भी एक संस्थान/ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपने स्वयं का मानदंड रखता है, वह उसका पालन कर सकता है। ऐसी दशा में, कृपया परियोजना प्रस्ताव के साथ संस्थान/ विश्वविद्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मानदंडों की एक प्रति संलग्न करें।

18. **तकनीकी सहायता** (अनुभाग-क, भाग III, क्रमांक 330): प्रमुख अन्वेषक संस्थान के विद्यमान तकनीकी/ मेज़बान संस्थान के नियमों के अधीन प्रयोगशाला अभिकर्ताओं/ अन्य आकस्मिक आधार पर सहायता पर लगा सकता है, ओर बाह्य अभिकरणों द्वारा निर्मित उप करण/प्रयोगात्मक ढांचे को प्राप्त कर सकता है। संस्थान में अनुपलब्ध, बाहर से किराये सेवाओं के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत निधि भी प्राप्त की जा सकती है, या यदि उपलब्ध है, तो इसके लिए भुगतान किया जा सकता है। उपकरण का किराया प्रभार, कंप्यूटर किराया प्रभार आदि को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

19. **यात्रा** (अनुभाग-क, भाग-III, क्रमांक 350): प्रकार का हकदार (रेल/एअर) और यात्रा की श्रेणी को संबंधित संस्थानों के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जिसमें प्रमुख अन्वेषक, सह-अन्वेषक और प्रमुख सहयोगी/समन्वयक संबंधित हैं। परियोजना की अवधि के दौरान प्रमुख अन्वेषक के संस्थान में प्रमुख सहयोगी/ समन्वयक के प्रति वर्ष और इसके विपरीत एक निरीक्षण को दिशानिर्देश के रूप में लिया जा सकता है। **परियोजना के द्वितीय अर्ध के दौरान भारत के अन्दर सम्मेलन में भाग लेने की यात्रा के लिए प्रमुख अन्वेषक निधि का उपयोग कर सकता है।** जहां भी परियोजना में कार्यक्षेत्र संबद्ध है, प्रमुख अन्वेषक तदनुसार यात्रा निधि का अनुरोध कर सकता है।

20. **आकस्मिकता** (अनुभाग-क, भाग-III, क्रमांक 360): इस 'शीर्ष' के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली राशि परियोजना के प्रकार (जैसे प्रायोगिक परियोजना, सैद्धांतिक परियोजना, डेटा संग्रह और सर्वेक्षण परियोजना, इंजीनियरिंग परियेजना आदि) के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। उपकरण एवं उपभोज्य लागत की कुल 5-10% एक दिशानिर्देश के रूप में माना जा सकता है। "आकस्मिकता" शीर्ष के अंतर्गत, निधि का उपयोग जे आर एफ/ एस आर एफ/ आर ए के पद के लिए विज्ञापन एवं चयन संबंधी व्यय के खर्च के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रमुख अन्वेषक, विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम के पंजीकरण हेतु नियोजित कर्मचारी के ट्यूशन शुल्क एवं अन्य व्यय के भुगतान के लिए भी इस निधि का उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग तत्काल आवश्यक प्रयोगशाला के लिए या पुस्तकों को खरीदने के लिए भी किया जा सकता है, परन्तु खरीदी गई पुस्तकों को संस्थान के पुस्तकालय में जमा की जानी चाहिए तथा पुस्तकालय के नियमों के अनुसार जारी की जाएंगी।

21. **ओवरहेड्स** (अनुभाग-क, भाग-III, क्रमांक 370): आईआरईएल परियोजना की लागत के 15% को "ओवरहेड्स" के रूप में कम आकस्मिकता की अनुमति देता है। इसके लिए सीमा शैक्षिक संस्थानों के लिए रु.6 लाख और अन्य सभी संस्थानों के लिए रु.2 लाख है। यह बुनियादी ढांचे की लागत, विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्रदानकिए जाने वाले जल, बिजली, संचार और प्रशासनिक सेवाओं जैसे उपयोगिताओं को कवर करने के लिए है। प्रत्येक विश्वविद्यालय /संस्थान इस शीर्ष के तहत निधियों को उपयोग करने के लिए नियमों के रूप में अपना निर्णय कर सकते हैं। कुछ विश्वविद्यालयो/संस्थान सामान्य कॉरपस में सभी ओवरहेड्स जमा करने की प्रथा का पालन करते हैं और उससे प्राप्त ब्याज का प्रयोग अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा/उपकरण के रखरखाव के लिए किया जाता है। ओवरहेड्स का 50% (अर्थात् कुल वार्षिक अनुदान का 7.5% कम आकस्मिकता) अनुदान के साथ प्रति वर्ष जारी किया जाएगा। शेष 50% ओवरहेड्स परियोजना के पूरा होने और लेखा परीक्षित लेखा विवरण (प्रपत्र-IV) एवं उपयोग प्रमाण पत्र (प्रपत्र-III) के साथ अंतिम प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण पर भुगतान किया जाएगा।

22. **अन्य अभिकरणों से परियोजना** (अनुभाग-क, भाग-IV, क्रमांक 412 एवं 415): कृपया 150 से न अधिक नहीं शब्दों में अन्य अभिकरणों द्वारा प्रमुख अन्वेषक एवं सह-अन्वेषक को स्वीकृत प्रत्येक परियोजना का वर्णन करें। इस वर्णन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के साथ इन परियोजनाओं के क्षेत्रों और उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली के किसी भी प्रकार की अतिव्यप्ति होगी तो स्पष्ट रूप से सामने लाएंगे।

23. **सुविधाएं** (अनुभाग-क, भाग-V, क्रमांक 416): संस्थान में उपलब्ध बुनियादी ढांचे एवं समूह में पहले से उपलब्ध उपस्कर के बारे में जानकारी प्रदान करें। आप उपकरणों/सुविधाओं का उपयोग करने में कठिनाइयों का उल्लेख करना चुन सकते हैं।

24. अनुभव (अनुभाग-ख, क्रमांक 500, 510 एवं 520): पिछले 10 वर्षों के दौरान आयोजित पदों की सूची और उस की अवधि बताइए। कृपया उस अनुभव को उजागर करें जो प्रस्तावित परियोजना के लिए उपयोगी और प्रासंगिक होगा। व्यक्ति जो 10 वर्षों से कम अनुभव या अनुभवहीन भी आवेदन करने के लिए पात्र है।

25. प्रकाशन (अनुभाग-ख, क्रमांक 500, 510 एवं 520): प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना के क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकाशनों की सूची बताएं।

26. आवेदनों का प्रसंस्करण: आवेदनों को क्षेत्र में विशेषज्ञों या आईआरईएल के अनुसंधान परिषद द्वारा विचार किया जाता है। रेफरी से टिप्पणियों के आधार पर, संक्षिप्त सूचीबद्ध आवेदकों को मुंबई में एक मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए तकनीकी कार्यक्रम चर्चा बैठक (टीपीडीएम) या अनुसंधान परिषद के सदस्य और विशेषज्ञ से बनी एक पैनल के सामने किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर आमंत्रित किया जा सकता है। टीपीडीएम और उपलब्ध बजट की सिफारिशों के आधार पर, स्वीकृति/ संशोधन/ अस्वीकृति के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की जा सकती है। यह प्रक्रिया 3 सें 6 माह लग सकती है। कुछ खास मामलों में, परियोजना को टीपीडीएम में प्रस्तुतीकरण के बिना स्वीकार किया जा सकता है।

27. निधियों का मोचन: प्रथम वर्ष के लिए निधि प्रारंभिक स्वीकृति के मुद्दे के साथ जारी की जाती है। प्रथम वर्ष में प्राप्त निधि के संबंध में 31 मार्च को तकनीकी प्रगति रिपोर्ट, एसए एवं यूसी आदि के साथ प्रमुख अन्वेषक से दावे की प्राप्ति पर द्वितीय वर्ष की निधि जारी की जाएगी। अनुदान, हालांकि अप्रयुक्त राशि को घटाकर जारी किया जाएगा। तृतीय/ और उसके बाद के वर्षों के लिए, प्रमुख अन्वेषक को निर्धारित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट और नवीनीकरण आवेदन **(आईआरईएल-पीआरए)** प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रमुख अन्वेषक को परियोजना की प्रगति के अनुवीक्षण करने के लिए टीपीडीएम में एक मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया जा सकता है। यदि प्रगति संतोषजनक है तो तृतीय/उसके बाद के वर्षों के लिए परियोजना का नवीनीकरण करने वाला स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख अन्वेषक को द्वितीय/पिछले वर्ष में प्राप्त निधियों के संबंध में 31 मार्च के अनुसार (i) **दावा (प्रपत्र-II)** (ii) **उपयोगीकरण प्रमाणपत्र (प्रपत्र-III)** एवं (iii) **लेखा विवरण (प्रपत्र-IV)** को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

28. आईआरईएल, विश्वविद्यालय/संस्थान के बैंक खाते को इलेक्ट्रॉनिक रूप से परियोजना निधि को अंतरण करेगा। कृपया निधि की प्राप्ति में देरी से बचने के लिए प्रमाण पत्र -I में सूचित के अनुसार खाते का विवरण प्रस्तुत करें अन्यथा राशि संस्थान के प्रधान को मांग पत्र/चैक द्वारा भेजी जाएगी। आवेदन पत्र में सूचना/तथ्य के दमन और/या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने की दशा में, परियोजना की स्वीकृति रद्दीकरण के लिए उत्तरदायी है।

(उपरोक्त उल्लिखित क्रमांक आवेदन पत्र में संख्याओं से संबंधित रखता है।)

नामपद्धति

प्रमुख अन्वेषक (पीआई) : एक वैज्ञानिक जो एक कार्यक्रम के लिए आईआरईएल में शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। (व्यक्ति जो 10 वर्षों से कम अनुभव या अनुभवहीन भी आवेदन करने के लिए पात्र है।)

सह-अन्वेषक (सीआई) : प्रमुख अन्वेषक के सहयोगी जो प्रमुख अन्वेषक के संस्थान या किसी भी अन्य गैर-आईआरईएल संस्थान में कार्यरत हैं, परियोजना में सक्रिय भाग लेता है।

प्रमुख सहयोगी (पीसी): परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के एक वैज्ञानिक जो अपने किसी घटक इकाई/पीएसयू में कार्य कर रहे हो।

विभागीय समन्व्यक (डीसी) : आईआरईएल द्वारा नामित दवैज्ञानिक।

परमाणु ऊर्जा विभाग की घटक इकाई: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरएसी), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर), वेरिएबल ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (वीईसीसी), राजा रामण्णा प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरसीएटी), परमाणु खनिज अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), विक्रिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी परिषद (बीआरआईटी), न्यूक्लियर फ्यूअल काम्प्लेक्स (एनएफसी), भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूबी)।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम: न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरई)।

गैर-परमाणु ऊर्जा विभाग संस्थान: सभी सरकारी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान उदा: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/ भारतीय विज्ञान संस्थान/ विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं आदि

आईआरईएल-पीपीए

(कृपया केवल दो हार्ड कापियों को प्रस्तुत करें और साफ्ट कापी head-irerc@irel.co.in को मेल करें।)

अनुभाग-क

भाग I - परियोजना अवलोकन (कृपया अनुदेश - क्रमांक 8 देखें)

100. सलाहकार समिति कोड नम्बर (कृपया अनुदेश - क्रमांक 9 देखें): **1 से 11**

101. शीर्षक:

102. कुंजी शब्द एवं 2 रेफरियों के नाम (कृपया अनुदेश - क्रमांक 10 देखें):

103. परियोजना सारांश (कृपया अनुदेश - क्रमांक 11 देखें):

यहां परियोजना सारांश लिखें: लगभग 100 शब्द

वैयक्तिक विवरण:

		नाम	पता	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
104	पीआई					
105	सीआई					
106	पीसी					

107. कुल बजट

108. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव रिपोर्ट संलग्न: हाँ / नहीं

(कृपया अनुदेश - क्रमांक 12 देखें - यह जानकारी हमें प्रस्ताव को पूरी तरह से समीक्षा करने में सहायता करेगी।)

भाग II - परियोजना के उद्देश्य, अनुसंधान योजना एवं डिलिवरेबल्स

200. उद्देश्यों की सूची (कृपया अनुदेश - क्रमांक 13 देखें):

210. वार्षिक अनुसंधान योजना का वर्णन करें और डिलिवरेबल्स की पहचान करें (कृपया अनुदेश - क्रमांक 14 देखें):

क. प्रमुख अन्वेषक /सह अन्वेषक के संस्थान में

प्रथम वर्ष

द्वितीय वर्ष

तृतीय वर्ष

ख. प्रमुख सहयोगी के संस्थान में

प्रथम वर्ष

द्वितीय वर्ष

तृतीय वर्ष

211. प्रमुख अन्वेषक/सह अन्वेषक के संस्थान में उपलब्ध परियोजना की गतिविधियों से संबंधित अवसंरचना सुविधाएं:

212 प्रमुख सहयोगी के संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं जो इस परियोजना के लिए उपयोगी होगी:

भाग III - बजट आकलन

300. बजट संबंधी आवश्यकताओं का विवरण (कृपया अनुदेश - क्रमांक 15 से 21 देखें):

विवरण ⇩ रुपये में राशि ⇨	I वर्ष	II वर्ष	III वर्ष	कुल
310. उपकरण				
320. कर्मचारी वेतन जेआरएफ:				
एसआरएफ:				

आरए:				
330. तकनीकी सहायता				
340. उपभोज्य				
350. यात्रा पीआई:				
पीसी/डीसी**:**				
360. आकस्मिक व्यय				
370. ओवरहेड्स				
380. सकल कुल				

बजट का विवरण

310. प्रमुख अन्वेषक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उपकरणों के लिए बजट का विवरण:

क्र.सं.	मद	I वर्ष	II वर्ष	III वर्ष	कुल
स्थानीय:					
आयातित आकलन के लिए इस्तेमाल मुद्रा रूपांतरण दर का उल्लेख करें।					
कुल					

340. प्रमुख अन्वेषक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उपभोज्यों के लिए बजट का ब्यौरा (रुपये में राशि) :

क्र.सं.	मद	I वर्ष	II वर्ष	III वर्ष	कुल
	कुल				

350. यात्रा का ब्यौरा:

रुपये में राशि ⇨	I वर्ष	II वर्ष	III वर्ष	कुल
351. प्रमुख अन्वेषक के संस्थान में पीसी/**डीसी** की विज़िट की प्रस्तावित संख्या				
351 क. प्रत्येक विज़िट के दौरान रहने की अवधि (दिनों की सं.)				
351 ख. आवश्यक कुल निधि				
352. प्रमुख सहयोगी/डीसी के संस्थान में प्रमुख अन्वेषक की विज़िट की प्रस्तावित संख्या				
352 क. प्रत्येक विज़िट के दौरान रहने की अवधि (दिनों की सं.)				
352 ख. आवश्यक कुल निधि				
353. भारत में सम्मेलनों में भाग लेने की यात्रा के लिए प्रमुख अन्वेषक के लिए आवश्यक धनराशि				
354. अन्य विज़िट के लिए निधि (कृपया विवरण दें)				

बजट औचित्य

310. उपकरण:

320. कर्मचारी:

330. तकनीकी सहायता

340. उपभोज्य

350. यात्रा

360. आकस्मिक व्यय

भाग IV - अन्य परियोजना

410. सभी पिछली परियोजनाओं की सूची दें जो **आईआरईएल या किसी अन्य वित्त पोषण अभिकरण** द्वारा समर्थित हैं जिसमें प्रमुख अन्वेषक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है (या तो प्रमुख अन्वेषक या सह अन्वेषक के रूप में):

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	कुल लागत	अभिकरण	वर्तमान स्थिति

411. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान **प्रमुख अन्वेषक** द्वारा **आईआरईएल या किसी अन्य वित्त पोषण अभिकरण** को प्रस्तुत सभी परियोजनाओं की सूची। आवेदन की वर्तमान स्थिति पर ब्यौरा दें:

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	कुल लागत	अभिकरण	वर्तमान स्थिति

412. अन्य अभिकरणों द्वारा प्रमुख अन्वेषक को/द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत परियोजना (परियोजनओं) का संक्षिप्त विवरण: (कृपया अनुदेश - क्रमांक 22 देखें):

413. सभी पिछली परियोजनाओं की सूची दें जो आईआरईएल या किसी अन्य वित्त पोषण अभिकरण द्वारा समर्थित हैं जिसमें सह अन्वेषक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है (या तो प्रमुख अन्वेषक या सह अन्वेषक के रूप में):

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	कुल लागत	अभिकरण	वर्तमान स्थिति

414. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान **सह अन्वेषक** द्वारा **आईआरईएल या किसी वित्त पोषण अभिकरण** को प्रस्तुत सभी परियोजनाओं की सूची। आवेदन की वर्तमान स्थिति पर ब्यौरा दें:

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	कुल लागत	अभिकरण	वर्तमान स्थिति

415. अन्य अभिकरणों द्वारा सह अन्वेषक को प्रस्तुत/ द्वारा स्वीकृत परियोजना (परियोजनओं) का संक्षिप्त विवरण: (कृपया अनुदेश - क्रमांक 22 देखें):

भाग IV - सुविधाएं

416. परियोजना के लिए कार्यान्वयन करने वाले संस्थान द्वारा अन्वेषकों को विस्तारित सुविधाओं की सूची

क. **अवसंरचना की सुविधाएं**

क्र. सं.	मद नाम	हाँ/नहीं एनआर*	क्र. सं.	मद नाम	हाँ/नहीं एनआर*
1	कार्यशाला		7.	दूर संचार	
2	जल एवं विद्युत		8.	परिवहन	
3	अतिरिक्त बिजली आपूर्ति		9.	प्रशासनिक समर्थन	
4	प्रयोगशाल जगह एवं फर्नीचर		10.	पुस्तकालय की सुविधाएं	
5	उपकरण हेतु वातानुकूलित कमरा		11.	कंप्यूटेशनल सुविधाएं	
6	रेफ्रिजरेटर		12.	पशु/कांच घर	
	एनआर* : आवश्यक नहीं				

ख. अन्वेषक के समूह/विभाग के अन्दर उपलब्ध उपकरण एवं सामान जिसे परियोजना के लिए उपयोग किया जा सकता है।

क्र.सं.	**उपकरण का नाम**	**मॉडल एवं उत्पाद**	**क्रय का वर्ष**

अनुभाग-ख

(कृपया अनुदेश - क्रमांक 23 एवं 24 देखें)

500. प्रमुख अन्वेषक (पीआई) के आत्मवृत्त (सीवी)

510. सह अन्वेषक (सीआई) के आत्मवृत्त (सीवी), यदि लागू हो

520. प्रमुख सहयोगी (पीसी) के आत्मवृत्त (सीवी)

ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों के आत्मवृत्त (सीवी) प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप को उपयोग किया जाना चाहिए:

नाम व पदनाम:

जन्म दिनांक एवं स्थान:

राष्ट्रीयता:

वर्तमान पद:

संस्थान का पता:

दूरभाष सं. (एसटीडी कोड सहित): फैक्स सं.

ई-मेल :

योग्यताएं:

अनुभव:

पुरस्कार एवं अध्येतावृत्ति

हस्ताक्षर सहित दिनांक

पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशन की सूची संलग्न करें जो परियोजना के लिए प्रासंगिक है।

(पुनर्मुद्रण कृपया केवल मांग पर मेल करें)

अनुभाग-ग

प्रमाणपत्र -1 (केवल एक हार्ड कापी ही प्रस्तुत करें)

गैर आईआरईएल संस्थान से प्रमुख अन्वेषक (पीआई) एवं सह-अन्वेषक (सीआई) के संस्थान के प्रधान से प्रमाण पत्र

(कृपया अनुदेश - क्रमांक 4-6 देखें)

...

परियोजना शीर्ष:

(1) प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थान, उपर्युक्त परियोजना के लिए

प्रो./डॉ./श्री..... (पीआई) प्रो./डॉ./श्री..... (सीआई)
पता ....
....
....

भागीदारी के लिए सहमति देता है, जोकि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) को वित्तीय सहयाता के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्थान में उपलब्ध परियोजना गतिविधि से संबंधित अवसंरचना की सुविधाएं हैं और प्रस्ताव के भाग II में (उपकरण, जनशक्ति एवं अन्य सुविधाओं सहित) परियोजना के लिए विस्तारित किये जाएंगे।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि प्रबंधन लेखापरीक्षित (बाहरी सनदी लेखाकार या सांविधिक सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा) लेखा का विवरण (एसए), उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रत्येक वर्ष के लिए भर्तीकृत कर्मचारी एवं खरीदे गये उपकरण का ब्यौरा तथा अंतिम वर्ष के लिए लेखापरीक्षित (बाहरी सनदी लेखाकार या सांविधिक सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा) समेकित एसए एवं यूसी के समय पर प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायित्व लेता है।

(4) यूनिवर्सिटी बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है (कृपया अनुदेश - क्रमांक 7 देखें):

क) खाता धारक का नाम:
ख) खाता संख्या :
ग) बैंक का नाम एवं शाखा का पता:

घ) शाखा कोड:
ङ) आईएफएस कोड: (16 अंक)

दिनांक: संस्थान के प्रधान का नाम एवं
हस्ताक्षर या उनके प्राधिकृत
स्थान: नामांकित व्यक्ति

मुहर:

नोट: बहु-केंद्र परियोजनाओं के लिए, सभी सहभागी संस्थान से समान प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

प्रमाणपत्र -2 (केवल एक हार्ड कापी ही प्रस्तुत करें)

परमाणु ऊर्जा विभाग के संस्थान से प्रमुख सहयोगी (पीसी) के प्रधान से प्रमाण पत्र

(कृपया अनुदेश - क्रमांक 7 देखें)

परियोजना शीर्षक:

(1) प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्थान उपर्युक्त परियोजना के लिए प्रमुख सहयोगी (पीसी) के रूप में प्रो./डॉ./श्री..... विभाग/पता .....के भागीदारी के लिए सहमति देता है जोकि प्रमुख अन्वेषक (पीआई) के रूप में प्रो./डॉ/श्री..... विभाग/पता .....द्वारा इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) को वित्तीय समर्थन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रमुख सहयोगी, अनुसूचित परियोजना के सार्थक निष्कर्ष के लिए वार्षिक प्रगति रिपोर्टों एवं वित्य दस्तावेज़ों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए समन्वय करेंगे।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्थान में परियोजना गतिविधि से संबंधित अवसंरचना की सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्रस्ताव के भाग II में (उपकरण, जनशक्ति एवं अन्य सुविधाओं सहित) परियोजना के लिए विस्तारित किए जाएंगे।

(3) यह संस्थान परियोजना कार्य के भाग की वित्तीय और अन्य प्रबंधन जिम्मेदारियों को करने का आश्वासन देता है जो इस संस्थान में आयोजित किया जाएगा।

दिनांक:

परमाणु ऊर्जा विभाग संस्थान के
प्रधान या समूह के प्रधान का नाम
एवं हस्ताक्षर

स्थान:

मुहर: